न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 22 / 2019

राकेश पुत्र महावीर, जाति जाट निवासी नाटास तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

—अपीलांट

—बनाम—

राजस्थान सरकार, जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील गुढा गोडजी, जिला झुंझुनू

— रेसपोंडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 11.10.2018 उनवानी सरकार बनाम राकेश
अं0 धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मु0 नं0 107 / 18
बअदालत नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी।

उपस्थितिः—

1. श्री विनोद गिल, एडवोकेट ---- ------------- अपीलांट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार,,राजकीय अभिभाषक --------- रेस्पोंडेंट की ओर से ।

—निर्णय— दिनांक — 04.07.2019

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.10.2018 उनवानी सरकार बनाम राकेश अं0धारा 91 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बअदालत नायब तहसीलदार गुढा के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि —अदालत मातहत ने गलत तथ्यों के आधार पर खसरा नंबर 403 पर अपीलांट को अतिक्रमण बाबत नोटिस दिया गया है। अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 333 है। अपीलार्थी अपने खेत की सीमा पर बसा हुआ है। खसरा नंबर 403 में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। खसरा नंबर 403 व खसरा नंबर 333 की सीमायें लगती हुई हैं । अदालत मातहत ने बिना कोई नपती करवाये नोटिस जारी किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। खसरा नंबर 403 पुराने खसरा नंबर 87 से बने हैं, खसरा नंबर 87 में दिनांक 14.11.1977 में परिवर्तित एक बीघा 11 विश्वा भूमि आबादी में परिवर्तित की गई थी जिसका नामांतरकरण नंबर 141 है। दिनांक 20.10.1975 को 15 विश्वा भूमि आबादी में परिवर्तित की गयी जिसका नामांतरकरण नंबर 117 है। अपीलार्थी का जोहड़ की भूमि में अतिक्रमण नहीं है। उक्त भूमि पर अतिक्रमण माना भी जाता है तो भी भूमि आबादी में परिवर्तित की जा चुकी है। इसलिए अदालत

न्यायालय अपर कलक्टेट एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनू (राज.)

अति. जिला कलक्टर झुन्झुनू

मातहत का धारा 91 एल.आर.एक्ट को नोटिस क्षेत्राधिकार से बाहर है, इसलिये नोटिस खारिज होने योग्य है। अपीलार्थी ने जवाब के साथ आबादी में परिवर्तित किये गय नामान्तरकरण संख्या 141 दिनांक 14.11.1977 व नामान्तरकरण संख्या 117 दिनांक 20.10.1975 प्रस्तुत की थी। उक्त दस्तावेजात प्रस्तुत करने के पश्चात अदालत मातहत ने जाहिर किया कि आपके खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही ड्रोप कर दी जायेगी, आपको आने की जरुरत नहीं है। पीछे से दिनांक 11.10.2018 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति दिखाकर एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी का निर्णय दिनांक 11.10.2018 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि-- अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 333 है। अपीलार्थी अपने खेत की सीमा पर बसा हुआ है। खसरा नंबर 403 में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। खसरा नंबर 403 व खसरा नंबर 333 की सीमायें लगती हुई हैं । खसरा नंबर 403 पुराने खसरा नंबर 87 से बने हैं, खसरा नंबर 87 में दिनांक 14.11.1977 में परिवर्तित एक बीघा 11 विश्वा भूमि आबादी में परिवर्तित की गई थी जिसका नामांतरकरण नंबर 141 है। दिनांक 20.10.1975 को 15 विश्वा भूमि आबादी में परिवर्तित की गयी जिसका नामांतरकरण नंबर 117 है। अपीलार्थी का जोहड़ की भूमि में अतिक्रमण नहीं है। उक्त भूमि पर अतिक्रमण माना भी जाता है तो भी भूमि आबादी में परिवर्तित की जा चुकी है। इसलिए अदालत मातहत का धारा 91 एल.आर.एक्ट को नोटिस क्षेत्राधिकार से बाहर है। अदालत मातहत ने बिना कोई नपती करवाये नोटिस जारी किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी का निर्णय दिनांक 11.10.2018 निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नायब तहसीलदार द्वारा अपीलांट द्वारा राजकीय गै0मु0 जोहड़ की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रकिया के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। वादग्रस्त भूमि की किस्म गैर मु0 जोहड़ है। अतःअपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी के निर्णय दिनांक 11.10.2018 का अवलोकन किया गया। अपीलांट का कथन कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में आबादी भूमि रही है और अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 333 है। अपीलार्थी अपने खेत की सीमा पर बसा हुआ है। खसरा नंबर 403 व खसरा नंबर 333 की सीमायें लगती हुई हैं। खसरा नंबर 403 में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलार्थी अपने खेत की सीमा पर आजादी के समय से, पूर्व से वहां आबाद हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी ने उक्त तथ्यों के संबंध में अपने निर्णय में कोई फाईडिंग नहीं दी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 11.10.2018 मुकदमा नंबर 107/18 उनवानी सरकार बनाम राकेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर, आवश्यकता हो तो सीमाज्ञान करवाया जाकर, पूर्ण विवेचना के साथ पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 04.7.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू